इंडियन बैंक
Indian Bank
FAX : 28134075
PHONE : 28134076
E-mail : investors@indianbank.co.in

Corporate Office
Investor Services Cell
254-260, Avvai Shanmugam Salai
Royapettah
Chennai 600 014

Ref : ISC /603/ 2018-19

18.02.2019

The Vice President **National Stock Exchange of India Limited** "Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra East **Mumbai - 400 051.** ***NSE Symbol : INDIANB***	**The Manager** **B S E Limited** Phiroze Jeejibhai Towers Dalal Street **Mumbai - 400 001.** ***Stock Code : 532814***

Dear Sir,

Sub : Notice of Postal Ballot.

Further to our letter dated January 8, 2019, informing about the approval of the Board of Directors of the Bank for the capital raising plan, we enclose the Notice of Postal Ballot for seeking the approval of the shareholders of the Bank to the following special resolutions;

i) Raising of equity capital upto Rs.7000 crore (including premium) in one or more tranches in the current or subsequent years based on the requirement through FPO/Private Placement / QIP / Rights Issue / Preferential Issue / Employees Share Purchase Plan under Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980.

ii) Issue and allotment of 4.00 crore equity shares of face value of Rs.10/- each to permanent employees of the Bank under Employees Share Purchase Scheme (INDBANK-ESPS) in one or more tranches.

Bank is providing remote e-voting facility to the shareholders, on Central Depository Services India Ltd e-voting platform, i.e, https://www.evotingindia.com.

Date of commencement of e-voting	:	**9.00 a.m. on Tuesday, the February 26, 2019**
Date of end of e-voting	:	**5.00 p.m. on Wednesday, the March 27, 2019**
Last date for receipt of postal ballot form / deemed date of resolutions.	:	**5.00 p.m. on Wednesday, the March 27, 2019**

Notice of postal ballot and the postal ballot form are available on Bank's website i.e., www.indianbank.co.in.

This is in compliance of Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We request you to take on record the above.

Thanking you

Yours faithfully,

(Bimal Shah)
Company Secretary

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक ● YOUR OWN BANK

प्रधान कार्यालय : 66 राजाजी सालै, चेन्नै 600 001
कॉर्पोरेट कार्यालय : 254–260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

पोस्टल बैलट सूचना / POSTAL BALLOT NOTICE

प्रिय शेयरधारक(को)

यह सूचना, समय–समय पर आशोधित सेबी के विनियमन (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ), 2015 के विनियमन 44 एवं कंपनी नियम (प्रबंधन एवं प्रशासन), 2014 के नियम 22 (समय–समय पर लागू सांविधिक आशोधन या पुनर्धिनियमन सहित) में उल्लेखित अपेक्षाओं के अनुपालन में विशेष संकल्पों को पोस्टल बैलट, जिसमें ई–वोटिंग भी शामिल है, के माध्यम से पारित करने के लिए इंडियन बैंक (जिसे आगे से "बैंक" कहा जाएगा) के शेयरधारकों से सहमति प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है।

प्रस्तावित विशेष संकल्प एवं उसके व्याख्यात्मक कथन में तात्विक तथ्य एवं उसके कारण प्रस्तुत किए गए हैं।

बैंक ने पोस्टल बैलट प्रक्रिया के निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मेसर्स एस एन अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी के सुश्री मालती कुमार (सीओपी सं. 10890) या उनकी गैर–मौजूदगी में सुश्री अश्विनी वर्तक (सीओपी सं. 16723), जो एस एन अनन्तसुब्रमनियन एंड को., के कंपनी सचिव हैं, थाने को चुनाव प्रक्रिया के संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

कृपया सूचना और फॉर्म दस्तावेज़ में उल्लेखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढें और फॉर्म को पूर्ण रूप से विधिवत भर कर उसे इसके साथ संलग्न स्व–पता मुद्रित पूर्व–प्रदत्त व्यावसायिक जवाबी लिफाफे में रख–कर संवीक्षक को बुधवार, दिनांक 27 मार्च 2019 को कार्यसमय समाप्ति के पहले अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे से पहले लिफाफे पर दिए पते पर भेज दें।

बैंक विशेष संकल्प पर मतदान प्रदान करने के लिए शेयरधारकों को ई–वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस सूचना को ध्यानपूर्वक पढें और ई–वोटिंग के संबंध में उल्लेखित निर्देशों का पालन करें।

पोस्टल बैलेट और ई–वोटिंग मंगलवार **26 फरवरी, 2019** को शुरू होगी और बुधवार, **27 मार्च 2019** को समाप्त होगी।

कार्यसूची मद संख्या 1

आवश्यकता के आधार पर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970 / 80 की धारा 3(2बी)(सी) के अंतर्गत एफ़पीओ / निजी प्लेसमेंट / क्यूआईपी / राइट इश्यू / प्रीफ़रेंशियल इश्यू / कर्मचारी शेयर खरीद योजना के माध्यम से चालू वर्ष या आगामी वर्ष में एक या अधिक चरणों में इक्विटी पूंजी को रु. 7,000 करोड़(प्रीमियम सहित) तक बढ़ाने के लिए अनुमोदन।

विचारार्थ और यदि पारित किए जाने योग्य हो तो निम्न संकल्प विशेष संकल्प के रूप में होगा।

संकल्प पारित किया गया कि बैंकिंग (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (''अधिनियम'') राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 1999 (''विनियमन'') के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (''आरबीआई''), भारत सरकार (''जीओआई''), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि है और / अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकारी और इस संबंध में शर्ते तथा संशोधन जैसे कि अनुमोदन देते समय उनके द्वारा विहित है और जिसमें निदेशक मंडल को सहमति हो और शर्तों के अधीन अर्थात्, सेबी (पूंजी जारी और अपेक्षित प्रकटीकरण) अधिनियम, 2018 (आईसीडीआर विनियमन) / मार्गदर्शी यदि भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी के द्वारा अधिसूचना / परिपत्र आदि बैंकिंग अधिनियम, 1949, प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, विदेशी मुद्रा विनिमय(अंतरण या भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिभूति) विनियमन, 2017, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(दायित्वों का सूचीकरण और आवश्यकताओं का प्रकटीकरण) विनियमन, 2015 और अन्य प्रयोज्य कानून अथवा समय समय पर अन्य संगत प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए और स्टॉक एक्स्चेंज के साथ की गई लिस्टिंग करार के शर्ताधीन, जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, एतद्द्वारा शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (इसके पश्चात इसे बोर्ड अभिहित किया जाएगा, जो कि बोर्ड द्वारा

गठित किसी समिति अथवा इस संकल्प द्वारा प्राप्त अधिकार समेत उसके शक्ति का प्रयोग करने के लिए गठित समिति) जो आबंटन, प्रस्ताव और जारी करने (फर्म आबंटन के मुद्दे पर आरक्षण के लिए प्रावधान समेत और / अथवा ऐसे भाग के प्रतियोगी के आधार पर और फिर लागू कानून द्वारा व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों के लिए अनुमति दी जा सकती है) एक प्रस्ताव अभिलेख / प्रास्पैक्ट अथवा ऐसा अन्य दस्तावेज भारत अथवा विदेश में प्रति 10 रुपये के अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयर और इसका कुल मिलाकर रुपए 7000 करोड (रुपए सात हज़ार करोड़ मात्र) से अधिक न हो, जोकि बैंक की अधिकृत पूंजी को उच्चतम सीमा रुपए 3000 करोड़ के बैंक की कुल प्राधिकृत निधि में से रुपए 480.29 करोड़ की मौजूदा प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी के साथ अथवा संशोधन के अनुसार अधिकृत पूंजी (यदि है), जिसे भविष्य में अधिनियम में इस प्रकार शामिल किया जा सकता है कि केन्द्र सरकार हर समय बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी का 51% के नीचे धारणा नहीं करेंगे, चाहे बट्टाकृत अथवा बाजार दर के प्रीमियम, एक अथवा अधिक चरणों में, एक या अधिक सदस्य व बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय (एनआरआई), कंपनियों, व्यक्तिगत व सार्वजनिक, निवेश संस्थान, समितियां, न्यास, अनुसंधान संस्थान, योग्यता प्राप्त संस्थागत खरीददार (क्युआईबी) जैसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई), बैंक, वित्तीय संस्थाएं, म्युचुअल फंड, वेंचर पूंजी निधि, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियों, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थानों या अन्य संस्थाओं, प्राधिकारी अथवा किसी अन्य वर्ग के निवेशक मौजूदा विनियम / मार्गदर्शी के अनुसार अथवा उपर्युक्त में से कोई भी समूह मौजूदा विनियमों / दिशानिर्देशों अथवा "उपर्युक्त विधियों" के सम्मिलन जैसा कि इसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए, के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों में निवेश के लिए अधिकृत हैं।

पुन : संकल्प पारित किया जाता कि इस इश्यू प्रस्ताव या अबंटन को पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट या निजी प्लेसमेंट जिसका अधिक आबंटन विकल्प सहित या बगैर, इस तरह के प्रस्ताव मुद्दे, प्लेसमेंट और आबंटन, लागू कानूनों को बैंकिंग कंपनी अधिनियम विनियम, आईसीडीआर विनियम और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अन्य सभी दिशानिर्देशों, सेबी और किसी अन्य प्राधिकारी के प्रावधानों के तहत, जो कि इस तरह के अन्य मुद्दे के माध्यम से और ऐसे समय में और इस प्रकार और ऐसी शर्तें, जो बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक द्वारा उचित समझा जाए, लागू किया जा सकता है।

पुनः संकल्प पारित किया जाता कि उपर्युक्त मामले में, बोर्ड को निवेशकों को शेयरों को जारी करने के लिए इस तरह की तरीके से ऐसे मूल्य या कीमतों पर प्रयोज्य बट्टों सहित और जहां आवश्यक हो, लीड मैनेजर या हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा बोर्ड अपने पूर्ण विवके से आईसीडीआर विनियम, अन्य नियमों और किसी भी और सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के मामले में यह फैसला करेगा कि आइसीडीआर विनियमों के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित मूल्यों से कम के प्रस्तावित निवेशक बैंक के मौजूदा शेयर धारक है अथवा नहीं ।

"पुनः संकल्प पारित किया जाता है कि क्यूआईपी के मामले में आईसीडीआर विनियम, 2018 के अध्याय 6 के अनुसार, प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम, 2018 के अध्याय 6 के अर्थ के भीतर केवल क्यूआईबी के लिए होगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इस तरह की प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प को पारित होने की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।"

"पुनः संकल्प पारित किया जाता है कि एक क्यूआईपी जारी करने के मामले में बैंक आईसीडीआर विनियम, 2018 के नियम 176 के प्रावधानों के अनुसार बैंक निर्धारित बट्टे पर शेयरों की पेशकश करने के लिए अधिकृत है जैसा कि समय–समय पर में आईसीडीआर विनियमों में वर्णित किया जाता है और प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तारीख आईसीडीआर नियमों के अनुसार होगी"

"पुनः संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड के पास भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अपेक्षित या लगाये गए प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने की प्राधिकरण और शक्ति होगी, जहां बैंक के शेयरों को सूचीबद्ध किया जाता है या उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति और जारी करने की मंजूरी, आबंटन और उनके लिस्टिंग स्वीकृति देने के समय, ऐसे अन्य उपयुक्त अधिकारियों और बोर्ड द्वारा सहमति के अनुसार और इस संबंध में आगे कोई अनुमोदन बैंक के शेयरधारकों से जरूरी नहीं होगी।"

"पुन : संकल्प पारित किया जाता है कि एनआरआई, एफआईआई और / या अन्य पात्र विदेशी संस्थाओं को नए ईक्विटी शेयरों को जारी और आबंटन करना विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन हो सकता है, के रूप में लागू है, लेकिन अधिनियम के तहत निर्धारित की गई समग्र सीमा के भीतर हो सकता है।"

"पुनः संकल्प पारित किया जाता है कि जारी किए जाने वाले कथित नए इक्विटी शेयर इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1999 यथा संशोधित तथा सांविधिक दिशानिर्देशों, जो लाभांश घोषणा के समय लागू हों, के अनुसार, लाभांश सहित, यदि कोई हो, हर तरह से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप रैंक में रहेंगे।"

" पुनः संकल्प पारित किया जाता है कि इसके अलावा किसी भी निर्गम या ईक्विटी शेयरों के आबंटन को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से, निवेशकों का वर्ग, जिसे प्रतिभूतियाँ आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक चरण में आबंटित किए जानेवाले शेयर / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य,

निर्गम पर प्रीमियम राशि सहित सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्ते निर्धारित करने के लिए बोर्ड हो तथा उसे इस हेतु प्राधिकृत किया जाता है, बोर्ड जैसा उपयुक्त समझे वैसा अपने पूर्ण निरपेक्ष विवेकानुसार करे एवं सभी ऐसे कृत्य, कार्य, मामले तथा चीजें करे तथा ऐसे विलेखों, दस्तावेजों तथा करारों को निष्पादित करे जैसे वे उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित अथवा वांछनीय हो और वह ऐसे किसी प्रश्नों, कठिनाइयों, संदेहों का निपटान करने के लिए अनुदेश अथवा निदेश दे जोकि सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन, निर्गम प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं तथा बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विविधताओं, फेरबदल, विलोपनों, अनुवृद्धियों को इसकी शर्तों के अनुसार अपने पूर्ण विवेकाधिकार में सदस्यों के किसी भी प्रकार के अनुमोदन की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने एवं प्रभावी बनाने हेतु तथा इस संकल्प के जरिए, बैंक को प्रदत्त किसी या सभी शक्तियों का बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार में प्रयोग किया जा सकता है।"

" पुनः संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को तथा उसे किसी भी लीड प्रबन्धक (कों), बैंकर (रों), हामीदार (रों), निक्षेपागार (रों), रजिस्ट्रार (रों), लेखा परीक्षक (कों), तथा सभी ऐसी मध्यवर्ती संस्था (एं) / एजेंसी जो कि इस तरह के इक्विटी / सेक्युरिटी में शामिल हैं अथवा संबन्धित हैं, के साथ ऐसी व्यवस्थाओं में प्रवेश करने एवं निष्पादित करने के लिए तथा ऐसी सभी संस्थाओं व एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क अथवा ऐसे ही किसी माध्यम से पारिश्रमिक देने हेतु तथा ऐसी एजेंसियों में प्रवेश करने एवं ऐसी सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि को निष्पादित करने हेतु एतदद्वारा बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है।"

" पुनः संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से, लीड प्रबन्धकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं तथा / अथवा बैंक द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के साथ परामर्शा से बोर्ड को तथा निवेशकों का वर्ग, जिसे प्रतिभूतियाँ आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक चरण में आबंटित किए जाने वाले शेयर / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), फेसवैल्यू, निर्गम पर प्रीमियम रकम और संबंधित या आकस्मिक मामलों, भारत में और / या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग सहित निर्गम (मों) के रूप (आकार) व शर्ते अपने पूर्ण निरपेक्ष विवेकानुसार निर्धारित करने हेतु बोर्ड को एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

"पुनः संकल्प पारित किया जाता है कि ऐसे शेयर जो अभिदत्त न हुए हो उन्हें बोर्ड द्वारा विवेकपूर्ण ढंग से (कानून द्वारा अनुमत एवं आवश्यकतानुरूप उचित समझकर) निपटाया जा सकता है।

"पुनः संकल्प पारित किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतदद्वारा अपने पूर्ण विवेक से आवश्यकतानुरूप उचित समझकर वांछनीय सभी कार्य, कर्म, मामलों पर कार्रवाही करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है एवं इसके साथ ही बोर्ड, शेयर / सुरक्षा के संबंध में उत्पन्न प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान और आवश्यकतानुरूप ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामलों और मुद्दों को अंतिम रूप दे सकते हैं एवं आवश्यक सभी दस्तावेजों और लेखों को निष्पादित कर सकते हैं। शेयरधारकों से इस संकल्प के अधिकार से इसके लिए कोई अतिरिक्त सहमति या अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होगी अथवा यह समझा जाएगा कि इसके लिए शेयरधारकों ने स्पष्ट रूप से अपनी अनुमोदन दे दी है ।

"पुनः संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को एतदद्वारा, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक (कों) अथवा निदेशकों की समिति अथवा गठित पूँजी जुटाने हेतु समिति को प्रदत्त, सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग या पूर्वोक्त संकल्पों को लागू करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

कार्यसूची मद संख्या : 2

कर्मचारी शेयर खरीद योजना के तहत बैंक के स्थायी कर्मचारियों को प्रत्येक शेयर रु. 10 (दस रुपये) के अंकित मूल्य के 4,00, 00,000 (चार करोड़) नए इक्विटी शेयरों को एक या अधिक चरणों में उपलब्ध करने, प्रस्ताव देने, जारी करने और आवंटित करने के लिए, नए इक्विटी शेयर (इसके पश्चात इंडबैंक – ईएसपीएस के रूप में वर्णित) ।

विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित पर विचार करने और पारित करने के लिए :

"पुनः संकल्प पारित किया जाता है कि बैंकिंग कंपनियों के प्रावधानों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (" अधिनियम "), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 ("योजना") और इंडियन बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999 (विनियम), समय–समय पर संशोधित तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ("भा.रि.बै."), भारत सरकार ("भा.स."), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी"), स्टॉक एक्सचेंज (जों) जिसमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, जहां कहीं भी लागू हों और / या इस संबंध में अपेक्षित अन्य प्राधिकारियों के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अधीन तथा ऐसे अनुमोदन प्रदान करने में उनके द्वारा सुझाए गए नियमों, विनियमों और आशोधनों के अधीन,

जिनपर बैंक के निदेशक मंडल की सहमति हो तथा सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014, के प्रावधानों के अधीन, आरबीआई, सेबी और अन्य सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित तिथि, दिशानिर्देश, यदि कोई हो, के रूप में संशोधित, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत सूचनाएं / परिपत्र और स्पष्टीकरण, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और सेबी के प्रावधानों के अधीन समय–समय पर लागू होने वाले अन्य सभी कानून (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 सेबी (एलओडीआर), निर्धारित तिथि तक संशोधित, यूनिफॉर्म लिस्टिंग अग्रीमेंट्स, बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई लिमिटेड) (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के साथ दर्ज किए गए और किसी भी लागू अनुमोदन (ओं), अनुमति (ओं), और स्वीकृति (ओं), के अधीन हैं, किसी भी स्तर पर, किसी भी प्राधिकारी के अधीन और किसी भी शर्त (ओं) और संशोधन (ओं) के अनुसार, जो इस तरह के अनुमोदन (ओं), अनुमति (ओं) और स्वीकृति (ओं) को मंजूरी देते समय ऐसे अधिकारियों द्वारा निर्धारित या लगाए जा सकते हैं और जो, बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमत और स्वीकृत हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति और इसके बाद बैंक के निदेशक मंडल को दी जाती है (इसके पश्चात "बोर्ड" के रूप में वर्णित, जिसमें ऐसी समिति जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या / गठित कर सकता है, को इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए शामिल किया जाएगा), ऐसे कर्मचारियों को, चाहे वे भारत में काम कर रहे हों या भारत से बाहर, एक या एक से अधिक चरणों में उपलब्ध करने, प्रस्ताव देने, जारी करने और आवंटित करने के लिए, जिस अभिव्यक्ति में बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशक शामिल होंगे ("कर्मचारी"), जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है, 4,00,00,000 (चार करोड़) तक का नया इक्विटी शेयर रू 10/- (केवल दस रुपये) प्रत्येक शेयर के अंकित मूल्य, सभी उद्देश्यों के लिए बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ समान रैंकिंग करना और सभी तरह से लाभांश के भुगतान सहित, कर्मचारी शेयर खरीद योजना के तहत (इसके पश्चात इंडबैंक – ईएसपीएस के रूप में वर्णित), ऐसे मूल्य या मूल्यों पर, और ऐसे नियम और शर्तों पर, जो बोर्ड / समिति द्वारा अपने पूर्ण विवेक से इस तरह तय किए जा सकते हैं कि भारत सरकार की धारिता बैंक की चुकता पूंजी के 51% से कम न हो ।"

"इसके अतिरिक्त यह संकल्प पारित किया जाता है कि बैंक**,** सेबी के विनियम, 2014 के विनियमन 15 (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) या किसी भी वैधानिक आशोधन, संशोधन या फिर से अधिनियमित में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुसार उसका अनुपालन करेगा।"

"पुनः संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड / समिति को यूनिफॉर्म लिस्टिंग अग्रीमेंट में स्टॉक एक्सचेंज और अन्य लागू दिशा–निर्देशों, नियमों और विनियमों के नियम और शर्तों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज पर जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध होते हैं, "इंडियन बैंक–ईएसपीएस" के तहत जारी एवं आवंटित किए गए इक्विटी शेयरों की सूची के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत है।"

"पुनः संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड / समिति को इस तरह के नियम और शर्तों को लागू करने, बनाने, विकसित करने, निर्णय लेने और " इंडबैंक – ईएसपीएस " को लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है, और " इंडबैंक – ईएसपीएस " के नियमों और शर्तों में समय–समय पर संशोधन (ओं), परिवर्तन (ओं), रूपान्तरण (ओं), तबदीली (ओं) या परिशोधन (ओं) करने के लिए, मूल्य, अवधि, पात्रता मानदंड में संशोधन के साथ (संशोधन) तक सीमित नहीं है, लेकिन बोर्ड / समिति द्वारा इस तरह से " इंडबैंक – ईएसपीएस " को निलंबित करने, हटाने, संशोधित करने या परिशोधन करने के लिए केवल अपने विवेक से निर्धारित किया जा सकता है और उन सभी प्रश्नों, कठिनाइयों या शंकाओं के निपटान के लिए भी, जो "इंडबैंक – ईएसपीएस" के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो सकती हैं और किसी अतिरिक्त सहमति की आवश्यकता के बिना प्रस्तावित "इंडबैंक – ईएसपीएस" के अनुसरण में जारी किए जाने वाले शेयरों को, या शेयरधारकों के अनुमोदन या अन्यथा अंत तक और इरादे से कि शेयरधारकों को इस प्रस्ताव के अधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दी गई है, समझा जाएगा। "

"पुनः संकल्प पारित किया जाता है कि निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या बैंक के ऐसे अन्य अधिकारी (यों) को, इसके लिए, इसके द्वारा प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को सौंपने के लिए बोर्ड अधिकृत है ताकि संकल्पों**,** सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 और अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के साथ पूर्वोक्त प्रस्तावों को प्रभावित करने के लिए उपयुक्त हो सके।"

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै
दिनांक : फरवरी 02, 2019

पद्मजा चुन्डूरू
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

टिप्पणियाँ

1. सभी तात्विक तथ्यों को बताते हुए और प्रस्तावित समाधान के कारणों से संबंधित व्याख्यात्मक कथन यहाँ संलग्न है।

2. यह नोटिस, पोस्टल बैलेट फॉर्म के साथ उन शेयरधारकों को ईलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे जिनका ई–मेल आईडी बैंक/निक्षेपागार के पास पंजीकृत हैं, बशर्ते किसी सदस्य ने भौतिक प्रति के लिए पंजीयन न किया हो। जिन शेयरधारकों ने ई–मेल पते का पंजीयन नहीं किया है, उनके पते पर भौतिक प्रति अनुमेय माध्यम से भेजी जाएंगी। शेयरधारक कृपया नोट करें कि पोस्टल बैलट की यह सूचना बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।

3. **दिनांक 15 फरवरी 2019, शुक्रवार** ("कट–आफ तारीख") तक शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत शेयरों की चुकता पूंजी के मूल्य के अनुसार मतदान के अधिकार की गणना की जाएगी। केवल उन शेयरधारकों को जिनका नाम कट–आफ तारीख तक बैंक के शेयरधारकों की सूची में अथवा निक्षेपागार द्वारा रख–रखाव किए गए हिताधिकारियों की सूची में शामिल हो, वे ही पोस्टल बैलट या ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के योग्य होंगे। जो व्यक्ति कट–आफ तारीख तक शेयरधारक नहीं है, उनके लिए यह सूचना केवल जानकारी के लिए है।

4. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 के उपधारा (2 ई) के अनुसार प्रतिनिधि नए बैंक के शेयरधारक, केंद्र सरकार को छोड़कर, प्रतिनिधि नए **बैंक के सभी शेयरधारकों की कुल मतदान के अधिकार से 10% से अधिक होने पर** ही अपने द्वारा धारित शेयरों के संदर्भ में मतदान के आधिकार के लिए पात्र होंगे।

5. शेयरधारकों को मतदान के लिए एक ही माध्यम का चयन करना होगा अर्थात पोस्टल बैलट या ई–वोटिंग। यदि कोई शेयरधारक दोनों ही माध्यमों से मतदान करता है तो उसके द्वारा ई–वोटिंग के माध्यम से किया गया मतदान ही वैध माना जाएगा एवं पोस्टल बैलट के माध्यम से किया गया मतदान अमान्य होगा।

6. इसके अतिरिक्त, जिन शेयरधारकों ने पोस्टल बैलट की सूचना ई–मेल के माध्यम से प्राप्त की है और वे भौतिक रूप से पोस्टल बैलट फॉर्म के माध्यम से अपना मतदान करना चाहते हैं, वे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in से पोस्टल बैलट फॉर्म डाउनलोड करके या कंपनी सचिव, इंडियन बैंक, 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रोयापेट्टा, चेन्नै 600014 के पते पर पत्राचार करके प्राप्त सकते हैं तथा इसे विधिवत भरकर एवं हस्ताक्षर करके संवीक्षक को इस तरह भेजें कि पोस्टल बैलट फॉर्म दिनांक **27 मार्च 2019, बुधवार** को अपराह्न 5 बजे तक पहुँच जाए।

7. यदि संकल्प अपेक्षित बहुमत से पारित हो जाता है तो **दिनांक 27 मार्च 2019, बुधवार** अर्थात बैंक द्वारा विधिवत भरे हुए पोस्टल बैलट फॉर्म या ई–वोटिंग करने की अंतिम तिथि, को पारित माना जाएगा।

8. शेयरधारक अपना मतदान पोस्टल बैलट के माध्यम से परोक्ष रूप से नहीं कर सकता है।

9. जो शेयरधारक अपना मतदान पोस्टल बैलटफॉर्म के माध्यम से करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलट फॉर्म की दूसरी ओर उल्लेखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फॉर्म को विधिवत भर कर इसके साथ संलग्न स्व–पता मुद्रित पूर्व–प्रदत्त कारोबारी जवाबी लिफाफे में रख–कर संवीक्षक को इस प्रकार भेजें कि वह **बुधवार दिनांक 27 मार्च 2019** को अपराह्न 5.00 बजे से पहले प्राप्त हो जाए।

10. डाक खर्च का भुगतान बैंक के द्वारा किया जाएगा। फिर भी, यदि पोस्टल बैलट फॉर्म वाला स्व–पता लिखा हुआ कारोबारी जवाबी लिफाफे को पंजीकृत/स्पीड–पोस्ट या कूरियर अथवा व्यक्तिगत रूप से अपने खर्च पर भेजा जाता है, तब भी वह स्वीकार्य होगा। यदि कोई पोस्टल बैलट फॉर्म **बुधवार, दिनांक 27 मार्च 2019** के अपराह्न 5 बजे के बाद प्राप्त होता है तो ऐसा माना जाएगा कि शेयरधारक की तरफ से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, कृपया नोट करें कि पोस्टल बैलट फॉर्म को अमान्य माना जाएगा, यदि:

    i) शेयरधारक की सहमति और विसम्मति के बिना निर्धारण करना संभव न हो और/या

    ii) सक्षम प्राधिकारी के द्वारा बैंक को लिखित रूप में किसी शेयरधारक के मतदान के अधिकार पर रोक लगाया जाए और/या

    iii) यह इस तरह से विकृत या कटा–फटा हो कि इसकी मूल फॉर्म से मिलान संभव न हो और/या

    iv) शेयरधारक ने संकल्प में किसी प्रकार का संशोधन किया हो अथवा मतदान के लिए किसी प्रकार का शर्त रखा हो और/या

    v) फॉर्म में दिया गया विवरण अपूर्ण या गलत हो और/या

vi) पोस्टल बैलट फॉर्म हस्ताक्षरित न हो अथवा हस्ताक्षर का मिलान न हो और/या

vii) बैंक द्वारा जारी किए गए पोस्टल बैलट फॉर्म के अलावा कोई अन्य फॉर्म का उपयोग किया गया हो।

11. यदि कोई शेयरधारक पोस्टल बैलट प्रारूप की द्वितीय प्रति प्राप्त करने का इच्छुक हो तो शेयरधारक इंडियन बैंक के कंपनी सचिव को पत्र लिख कर प्राप्त कर सकता है। फिर भी, यह पोस्टल बैलट फॉर्म की द्वितीय प्रति विधिवत रूप से भरकर और हस्ताक्षर कर संवीक्षक को **बुधवार, दिनांक 27 मार्च 2019** को अपराह्न 5 बजे तक प्राप्त होनी चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अनुक्रम संख्या (EVSN) 190206003 है

12. **ई–वोटिंग प्रक्रिया :**

जो बैंक के शेयरधारक, कट–आफ तारीख, यानी **15 फरवरी, 2019 (शुक्रवार)** को, भौतिक या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयरों को रखते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। ई–वोटिंग की सुविधा **मंगलवार 26 फरवरी, 2019 को पूर्वाह्न 09.00 बजे से बुधवार, 27 मार्च, 2019 अपराह्न 05:00 बजे** तक सभी शेयरधारकों के लिए खुली रहेगी। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

दूरस्थ ई–मतदान के लिए प्रक्रिया और तरीके निम्नानुसार हैं :

a) **ई–वोट देने के लिए निम्नानुसार करें**

(i) निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके इंटरनेट ब्राउज़र लॉन्च करें: **https://www.evotingindia.com/**

(ii) शेयरधारक – **लॉगिन** पर क्लिक करें

(iii) अब अपना यूज़र आईडी की प्रविष्टि करें

(क) सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों की लाभार्थी आईडी,

(ख) एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी,

(ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर दर्ज करना चाहिए।

(iv) छवि सत्यापन को प्रदर्शित किए अनुसार दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

(v) यदि आप डीमैट फॉर्म में शेयर रख रहे हैं और www.evotingindia.com पर लॉगइन किया है और किसी अन्य कंपनी के वोटिंग में शामिल हुये हैं, तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते है।

(vi) यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें –

	डीमैट फॉर्म और भौतिक फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अल्फा–न्यूमरिक 10 अंकोंवाला अपना पैन दर्ज करें (डीमेट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू) ● जिन सदस्यों ने बैंक / आरटीए / निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम के पहले दो अक्षर और पैन अनुक्रम संख्या के 8 अंकों का उपयोग करें। ● यदि अनुक्रम संख्या 8 अंकों से कम है, तो नाम के पहले दो कैपिटल अक्षरों के बाद पैन संख्या से पहले लागू 0 संख्या दर्ज करें। उदाहरण के लिए यदि आपका नाम रमेश कुमार है और अनुक्रम संख्या 1 है तो पैन क्षेत्र में RA00000001 दर्ज करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि	लॉगिन करने के लिए लाभांश बैंक विवरण या अपने डीमैट खाते में या बैंक / आरटीए के रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि (dd/mm/yyyy format) दर्ज करें। ● यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के साथ दर्ज नहीं हैं, तो निर्देश (iii) में उल्लिखित लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी / फोलियो संख्या दर्ज करें।

(vii) इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें।

(viii) भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले सदस्य इसके बाद सीधे वोटिंग स्क्रीन में पहुँच जाएँगे। तथापि डीमैट रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्य, अब ''पासवर्ड सृजन'' के मेनु में पहुँचेंगे जहाँ उनसे अनिवार्यतः अपेक्षा की जाती है कि वे नये पासवर्ड फील्ड में अपने लागइन पासवर्ड को प्रविष्टि करें। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का प्रयोग डीमैट धारकों द्वारा अन्य किसी भी कंपनी के संकल्पों के लिए वोट करने हेतु भी किया जाएगा, जहाँ वे वोट देने के लिए पात्र हैं बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लैटफार्म के जरिए ई–वोटिंग का विकल्प उपलब्ध कराती है। हमारी सलाह है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यन्त सावधानी बरतें।

(ix) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, इस नोटिस में निहित प्रस्तावों पर केवल ई–वोटिंग के लिए विवरण का उपयोग किया जा सकता है।

(x) संबंधित <Indian Bank> ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिस पर आप मतदान देना चाहते हैं।

(xi) वोटिंग के पृष्ठ पर आप संकल्प का वर्णन पाएँगे और उसके सामने मतदान हेतु ''हाँ/नहीं'' का विकल्प होगा। अपनी इच्छानुसार "हाँ" या "नहीं" का चयन करें। "हाँ" विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत हैं और "नहीं" विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।

(xii) आप संपूर्ण संकल्पों को देखना चाहते हैं तो ''संकल्प फाइल लिंक'' पर क्लिक करें।

(xiii) वोटिंग के पृष्ठ पर, **कट–ऑफ दिनांक** अर्थात **शुक्रवार, 15 फरवरी, 2019** को बैंक के शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या दिखाई देगी।

(xiv) कार्यसूची मद संख्या 1 एवं 2 के संबंध में, आप स्वीकृत या अस्वीकृत पर क्लिक कर सकते हैं। आपने जिस संकल्प पर मतदान देने का निर्णय लिया है, उसको चुनने के बाद **''सब्मिट''** पर क्लिक करें और प्रॉम्प्ट होने पर **"कन्फ़र्म"** भी क्लिक करें।

(xv) एक पुष्टिकरण बक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो ''ओके''(OK) पर क्लिक करें या अपना वोट बदलना चाहते हैं तो ''कैन्सल'' पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को आशोधित करें।

(xvi) आप जब एक बार संकल्प पर अपना वोट ''पुष्टिकृत'' (CONFIRM) कर देते, तो आपको उसे बदलने नहीं दिया जाएगा।

(xvii) वोटिंग के पृष्ठ पर प्रिंट करने के लिए यहाँ क्लिक करें" पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए वोट को प्रिंट भी कर सकेंगे।

(xviii) यदि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करते हैं और लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो उपयोगकर्ता आईडी और छवि सत्यापन कोड दर्ज करें और "पासवर्ड भूल गए" पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा बताए गए विवरण दर्ज करें।

(xix) **शेयरधारक सीडीएसएल के मोबाइल ऐप एम– वोटिंग का उपयोग करके अंड्राइड आधारित मोबाइलों पर भी अपना वोट दे सकते हैं एम– वोटिंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप्पल और विंडोज फोन उपयोगकर्ता क्रमशः ऐप स्टोर और विंडोज फोन स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया अपने मोबाइल पर मतदान करते समय मोबाइल ऐप द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें।**

(xx) **गैर–व्यक्तिगत शेयरधारक और कस्टोडियन नोट करें –**

(क) गैर–व्यक्तिगत शेयरधारकों (अर्थात, वैयक्तिक, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से अन्य) और कस्टोडियन को www.evotingindia.com पर लॉग इन करना होगा और खुद को कॉर्पोरेट्स के रूप में पंजीकृत कराना होगा।

(ख) संस्था के स्टांप और हस्ताक्षर सहित पंजीकृत करनेवाले संस्था को पंजीकरण फॉर्म की स्कैन helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करना चाहिए।

(ग) लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद व्यवस्थापक लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करके एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाया जाना चाहिए। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।

(घ) लॉगिन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जानी चाहिए और उन खातों के अनुमोदन पर वे अपना वोट दे सकेंगे।

(ङ) बोर्ड के संकल्प और पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) की एक स्कैन की गई प्रतिलिपि जो उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी की है, यदि कोई है, तो इसे सत्यापित करने के लिए स्क्रूटिनीज़र के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।

b) यदि ई–वोटिंग के संबंध में आपको कोई प्रश्न या पूछताछ है, तो आप ''बार–बार पूछे जानेवाले प्रश्न'' (एफएक्यू) या www.evotingindia.com में उपलब्ध ई–वोटिंग अनुदेश पुस्तिका का संदर्भ लें या टोल फ्री नंबर 1800–22–5533 पर संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com में हमें ई–मेल भेजें।

13. पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान का समापन होने पर संवीक्षक द्वारा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यलापक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) या निदेशक मण्डल द्वारा प्राधीकृत बैंक का कोई कार्यपालक निदेशक या उनके द्वारा प्राधीकृत कोई अन्य, जो उस पर हस्ताक्षरित कर सके, के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रत्येक कार्यसूची की मदों में निर्धारित विशेष संकल्पों के पक्ष में या उसके विरुद्ध डाले गए कुल मतों पर संवीक्षक की रिपोर्ट तैयार करेंगे। पोस्टल बैलेट फोरम की अवधि पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

व्याख्यात्मक विवरण

मद नंबर 1

बैंक, बैंकिंग और संबंधित क्रियाकलापों का कारोबार कर रहा है। बैंक की प्राधिकृत पूंजी रु.3000/– करोड (तीन हजार करोड रुपए मात्र) है और प्रदत्त ईक्विटी पूंजी रु 480.29 करोड है। वर्तमान में बैंक की ईक्विटी पूंजी में भारत सरकार की धारिता 81.73% प्रतिशत या रु 392.54 करोड है।

सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, नियम 19ए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, जिसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 के लागू होने की तारीख को (अर्थात अगस्त 22, 2014 को) पच्चीस प्रतिशत से कम की सार्वजनिक शेयरधारिता है, तीन वर्षों की अवधि के अन्दर (अर्थात अगस्त 2020 तक) अपनी शेयरधारिता को सेबी द्वारा निर्धारित तरीके से कम से कम 25 प्रतिशत तक बढायेगी। आगे, वित्त मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि दिसंबर 2014 में केन्द्रीय मंत्री मंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा, बैंक की पूंजी की आवश्यकता, स्टॉक का निष्पादन, तरलता, बाजार में उसकी मांग आदि के आधार पर और पूंजी और संसाधनों के सुदक्ष प्रयोग के लिए मामले–दर–मामले के आधार पर चरणबद्ध तरीके से सरकार की धारिता को कम करते हुए फॉलो–अप पब्लिक ऑफर के जरिए या क्वालिफाइड संस्थागत प्लेसमेंट के जरिए पूंजी बढाने व प्राप्त करने के विषय को अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

तदनुसार सार्वजनिक धारिता को 25 प्रतिशत के न्यूनतम अपेक्षित स्तर तक बढ़ाने के लिए और वर्तमान बाजार की मांग को लिहाज में लेते हुए नोटिस की मद सं.1 में दर्शाए अनुसार इसे विशेष संकल्प के रूप में अनुमोदित करने के लिए शेरयधारकों के अनुमोदन का अनुरोध किया जाता है।

इश्यू की संप्राप्तियों का प्रयोग, बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और उसकी आस्तियों में, खासकर अर्थव्यवस्था में विकास के कारण मुख्य रूप से बैंक के ऋण एवं निवेश संविभाग में वृद्धि लाने के लिए तथा इश्यू के व्यय की पूर्ति करने सहित अन्य सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

बैंक के निदेशकों के मामले में माना जाएगा कि वे बैंक में अपनी शेयरधारिता के हद तक अपनी वैयक्तिक क्षमता में या भारत सरकार के नामिती के रूप में उसमें अभिरुचि रखते हैं।

मद नंबर 2

बैंक कर्मचारियों में अपनत्व की भावना बढ़ाने एवं उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से बैंक ने अपने प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक अधिकारियों सहित स्थाई कर्मचारियों (अर्ह कर्मचारियों) को इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्तावित निर्गम दीर्घावधि संसाधनों की बढ़ती मांगों को पूरा करेगा तथा बासल III बैंक की पूंजी पर्याप्तता को भी मजबूती प्रदान करेगा।

सेबी(शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014 [सेबी(एसबीइबी)] के अनुपालन में इंडियन बैंक, इंडियन बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना ("इंडबैंक–ईएसपीएस") बना रहा है। यह योजना बोर्ड की एक समिति द्वारा प्रशासित होगी तथा लागू नियमों के अधीन होगी।

चालू वित्तीय वर्ष या आगामी वित्तीय वर्ष में एक या अधिक अंशों में रू. 7000 करोड़ की पूंजी जुटाने के लिए बैंक के बोर्ड ने इंडियन बैंक कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना ("इंडबैंक–ईएसपीएस") के माध्यम से रू. 40 करोड़(प्रति रू. 10/– के अंकित मूल्य वाले 4 करोड़ तक इक्विटी शेयर) तक के इक्विटी शेयर जुटाने का निर्णय लिया है, ऐसे एक या अधिक अंशों के प्रीमियम भारत सरकार/सेबी/अन्य विनियामक संस्थाओं के अनिवार्य/नियामक अनुमोदन के अधीन इस प्रकार से होंगे कि बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम नहीं होगी।

दीर्घावधि संसाधनों को जुटाने के अलावा इस निर्गम का उद्देश्यः

- कर्मचारियों के योगदान को पहचान कर पुरस्कृत करने करने / बैंक के पूर्ण कालिक निदेशकों को उनके द्वारा निर्मित मूल्य को साझा करने से उन्हें आगे भी योगदान देने की प्रेरणा मिलेगी और बैंक के दीर्घावधि हितों में उनका हित भी निहित रहेगा।
- कर्मचारियों के मध्य प्रतिभाग और मालिकाना भाव उत्पन्न करने के लिए ।
- बैंक की लगातार वृद्धि और लाभ को पाने के लिए बैंक को कर्मचारियों की सेवाओं के लिए उन्हें आकर्षित करने, बनाए रखने तथा पुरस्कृत करने के लिए सक्षम बनाना।

इस योजना के अंतर्गत जारी करने हेतु प्रस्तावित नए शेयर, बैंक द्वारा घोषित लाभांश का भुगतान, यदि कोई हो, सहित बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर से सभी प्रकार समान श्रेणी में होंगे।

सेबी (दायित्वों का सूचीकरण एवं अपेक्षाएं प्रकटीकरण) विनियम, 2015 [सेबी (एलओडीआर)], के विनियम 41(4), तथा सेबी(शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के विनियम 6 के अनुपालन में अर्ह कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयर जारी करने तथा आवंटित करने के लिए इंडियन बैंक द्वारा विशेष संकल्प प्रस्तावित किया जा रहा है।

सेबी परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफ़डी/नीति कक्ष/2015 दिनांक 16 जून 2015 के अनुवर्तन में अतिरिक्त प्रकटीकरण निम्नवत हैं:

ए) योजना का संक्षिप्त विवरण :

बैंक 4 (चार) करोड़ नए इक्विटी शेयरों तक, बैंक के प्रत्येक के लिए 10 / – रुपये के अंकित मूल्य का शेयर प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

बी) प्रदान किए जानेवाले कुल शेयरों की संख्या :

इंड बैंक के – ईएसपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों को कुल 4,00,00,000/– (चार करोड़) तक के नए इक्विटी शेयर प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

सी) इंडबैंक–ईएसपीएस में भाग लेने हेतु तथा लाभार्थी बनने हेतु पात्र कर्मचारियों की श्रेणी की पहचान :

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) तथा कार्यपालक निदेशकों सहित बैंक के समस्त स्थाई कर्मचारी।

डी) निर्निहितीकरण अपेक्षाएँ एवं निर्निहितीकरण की अवधि :

ईक्विटी शेयरों को सीधे तौर पर ऑफर एवं आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है, अतः इसके निर्निहितीकरण की कोई अवधि नहीं है।

ई) अधिकतम अवधि {(सेबी (एसबीईबी) विनियम के विनियम 18(1) और 24(1) के अधीन, जैसा भी मामला हो} जिसमें विकल्प/एसएआर/लाभ निहित किया जाना है।

लागू नहीं

एफ) कार्यान्वयन मूल्य, एसएआर मूल्य, क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण की विधि :

बैंक के पात्र कर्मचारियों को योजना के तहत आबंटित किए जाने वाले शेयरों की कीमत, बोर्ड / समिति द्वारा प्रस्ताव / खरीद मूल्य, दो सप्ताह के दौरान उस तारीख से पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NSE) पर उद्धृत बैंक के इक्विटी शेयरों के वॉल्यूम भारित औसत मूल्य पर 25% तक की छूट होगी।

जी) कार्यान्वयन की प्रक्रिया और अवधि :

समिति/बोर्ड के निर्णय के अनुसार निर्गन खुलने की अवधि कार्यान्वयन अवधि मानी जाएगी। कार्यान्वयन की प्रक्रिया में पात्र कर्मचारियों को प्रस्ताव, आवेदनों की प्राप्ति और योजना के अंतर्गत शेयरों का आबंटन तथा अंशदान की राशि शामिल होगी।

एच) प्रस्तावित ईएसपीएस के लिए कर्मचारियों के पात्रता निर्धारण हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया :

प्रस्ताव की तिथि की स्थिति में पात्र कर्मचारी, लागू विनियामक आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों के अधीन भाग लेने हेतु हकदार होंगे।

आई) प्रति कर्मचारी को निर्गम किया जाने वाला विकल्प, स्टॉक मूल्य वृद्धि अधिकार (एसएआरएस), शेयरों की अधिकतम संख्या, जैसा भी मामला हो, एवं कुल निगमन :

योजना के अंतर्गत प्रति कर्मचारी निर्गमित किए जाने वाले नए ईक्विटी शेयरों की अधिकतम संख्या, उद्देश्य के लिए गठित की गई निवेशकों की समिति द्वारा निर्णय किया जाएगा। बैंक द्वारा अधिकतम 4,00,00,000 (चार करोड़) नए ईक्विटी शेयर निर्गमित करने का प्रस्ताव है, जो प्रति कर्मचारी बैंक की 1.00% की निर्गमित चुकता पूंजी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जे) योजना के अंतर्गत प्रति कर्मचारी को प्रदान किए जानेवाले लाभ की अधिकतम मात्रा :

उपरोक्त पैरा (आई) में उल्लिखित योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को निर्गमित किए गए ईक्विटी शेयर के अलावा, कर्मचारी को अन्य कोई लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं है।

के) क्या योजना सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वयित और प्रशासित की जाएगी या ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा :

प्रस्तावित योजना सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वयित और प्रशासित की जाएगी।

एल) बैंक द्वारा ट्रस्ट को योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रदान की जानेवाली ऋण राशि, इसकी अवधि, उपयोगिता, चुकौती शर्तें आदि :

लागू नहीं।

एम) द्वितीयक अधिग्रहण की अधिकतम प्रतिशतता (सेबी विनियमन के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमा के अधीन) जो, योजना के उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट द्वारा तैयार किया गया है :

लागू नहीं।

एन) सेबी (एसबीईबी) विनियमन की 15 विनियम में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुकूल कंपनी के प्रभाव संबंधी विवरण :

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन 2014 के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियाँ जो समय–समय पर लागू होती हैं, का अनुपालन करेंगी।

ओ) कंपनी द्वारा अपने विकल्प या एसएआर का मूल्य के उपयोग संबंधी विधि :

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बैंक ने नए ईक्विटी शेयर निर्गमित करने का प्रस्ताव किया है और इस प्रकार विकल्प और एसएआर का मूल्यांकन लागू नहीं है।

पी) अनुवर्ती विवरण, यदि लागू हो :

यदि बैंक वास्तविक मूल्य का उपयोग कर शेयर आधारित कर्मचारी लाभ के विस्तार का चयन करती है, तो गणना की गई कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत और पहचान की गई कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत और पहचान की गई कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत, यदि उचित मूल्य का उपयोग किया गया है, के अंतर को निदेशकों की रिपोर्ट में उल्लेखित किया जाए और लाभ एवं बैंक की प्रति शेयर आय (''ईपीएस'') के अंतर के प्रभाव को निदेशकों की रिपोर्ट में उल्लेखित किया जाए। यदि लागू हो, तो बैंक उपरोक्त आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

क्यू) अवरुद्धता अवधि :

वर्तान ईएसपीएस के अंतर्गत निर्गमित किए जाने वाले प्रस्तावित नई ईक्विटी शेयर के लिए अवरुद्धता अवधि न्यूनतम 1 वर्ष की होगी, जो सेबी (एसबीईबी) विनियमन 2014 के अनुसार आबंटन की तिथि से प्रभावी होगी।

निदेशक मंडल प्रस्तावित विशेष प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश करता है।

बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक और बैंक के अन्य मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति (केएमपी) उक्त संकल्प में चिंतित या रुचि रखते हैं क्योंकि यह उनके लाभ के लिए अभिप्रेत है। अन्य निदेशक संकल्प में चिंतित या इच्छुक नहीं हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै
दिनांक : फरवरी 02, 2019

पद्मजा चुन्डूरू
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK

Head Office : 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.
Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

POSTAL BALLOT NOTICE

Dear Shareholder(s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) to seek consent of the Shareholders of Indian Bank (hereinafter referred to as "the Bank") to pass the Special Resolutions by way of Postal Ballot including voting by electronic means i.e. "e-Voting".

The proposed Special Resolutions and Explanatory Statement, stating the material facts and reasons thereof are annexed hereto.

The Bank has appointed Ms. Malati Kumar (COP no. 10890) or failing her Ms. Ashwini Vartak (COP no.16723) of M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

Please read carefully the instructions printed in the Notice of Postal Ballot Form and return the Form duly completed in all respects in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope (Envelope) so as to reach the Scrutinizer not later than close of working hours i.e. 5.00 p.m. on Wednesday, 27th March 2019 at the address as indicated on the Envelope.

The Bank is also providing e-Voting facility for voting on the Special Resolutions. The Shareholders desiring to opt for e-Voting facility are requested to read the notes to the Notice of Postal Ballot and instructions given there under for e-Voting purpose.

The Postal Ballot and e-voting will commence on Tuesday, **26th February, 2019** and end on Wednesday, **27th March 2019.**

Agenda item no.1:

To approve raising equity capital upto ₹ 7,000 Crore (including premium) in one or more tranches in the current or subsequent years based on the requirement through FPO/Private Placement/QIP/Rights Issue/Preferential Issue/Employees Share Purchase Plan, under section 3(2B) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970/1980.

To consider and if thought fit to pass the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("Scheme") and the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 ("Regulations"), and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/ or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations"), as amended upto date / guidelines, if any, prescribed by the SEBI, RBI, notifications / circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a person Resident Outside India) Regulations, 2017, the Securities and

Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and / or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus, draft red herring prospectus, red herring prospectus, preliminary placement document, placement document, draft letter of offer, letter of offer, private placement letter or such other document, in India or abroad through Further Public Offer/ Private Placement/ Qualified Institutional Placement/ Rights Issue/ Preferential issue to be decided by the Bank, such number of equity shares of the face value of ₹ 10/- each whether at a discount or premium upto ₹ 7000 Crore (Rupees Seven thousand Crore only) in one or more tranches in current or subsequent financial years which together with the existing Paid-up Equity share capital of ₹ 480.29 Crore shall be within the total Authorized Capital of the Bank of ₹ 3000 Crore, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Act or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, provided that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity Capital of the Bank, to one or more of the members, employees of the Bank, Individuals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs") / Foreign Portfolio Investors (FPIs), Banks, Financial Institutions, Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares of the Bank as per extant regulations / guidelines or any combination of the "aforementioned methods" as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Public Issue, Rights Issue, Qualified Institutional Placement or private placement, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, ICDR Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to issue shares to investors at such price or prices (including discounts as applicable) in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and / or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and/ or all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a QIP made pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations, 2018 the allotment of securities shall only be to QIBs within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, 2018 such securities shall be fully paid-up and the allotment of such securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this Resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a QIP issue, the Bank in pursuance to proviso to Regulation 176 of ICDR Regulations, 2018 is authorized to offer shares at a discount as prescribed by ICDR Regulations from time to time and relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board and no further approvals in this regard would be required from the shareholders of the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign entities be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board as the Board in its absolute discretion deems fit".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such intermediaries / agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue of equity shares and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit".

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors or to Capital Raising Committee constituted / hereafter constitute to give effect to the aforesaid Resolutions."

Agenda Item No.2

To create, grant offer, issue and allot up to 4,00,00,000 (Four Crore) new Equity Shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each to permanent employees of Bank under Employees Share Purchase Scheme (hereinafter referred to as "INDBANK-ESPS") in one or more tranches

To consider and pass the following as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 ("The Regulations"),

as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Stock Exchange(s) in which Bank's Equity Shares are listed, wherever applicable and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the provisions of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, and all other relevant authorities, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR)] as amended upto date, Uniform Listing Agreements entered into by the Bank with the Stock Exchanges namely BSE Limited (BSE) and the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and subject to any applicable approval(s), permission(s) and sanction(s), at any stage, of any authority and subject to any condition(s) and modification(s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission(s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by the Board of Directors of the Bank, the consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which shall be deemed to include a Committee which the Board may have constituted or/may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank ("The Employees"), as may be decided by the Board, aggregating up to 4,00,00,000 (Four Crore) new Equity Shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari passu with the existing Equity Shares of the Bank for all purposes and in all respects, including payment of dividend, under Employees Share Purchase Scheme (hereinafter referred to as "INDBANK- ESPS"), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion in such a way that Government of India holding does not decrease below 51.00% of the Equity Paid-up Capital of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board/Committee be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the Equity Shares issued and allotted under the "INDBANK-ESPS", on the Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board/Committee be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "INDBANK-ESPS" on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the "INDBANK-ESPS", from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "INDBANK-ESPS" in such manner as the Board/Committee may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "INDBANK-ESPS" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "INDBANK-ESPS" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval there to expressly by authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee(s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions in compliance with the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and other applicable laws, rules and regulations."

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai
Date : February 02, 2019

Padmaja Chunduru
Managing Director & CEO

NOTES

1. The Explanatory Statement stating all material facts and reasons for the proposed Special Resolutions are annexed hereto.

2. This Notice along with the Postal Ballot Form is being sent by the electronic mode to those Shareholders, whose email addresses are registered with the Bank/Depositories, unless any shareholder has registered for a physical copy of the same. For Shareholders who have not registered their email addresses, physical copies are being sent by the permitted mode. The Shareholders may note that this Notice of Postal Ballot will be available on the Bank's website, www.indianbank.in and on the website of Central Depository Services (India) Limited i.e. www.evotingindia.com

3. The voting rights will be reckoned on the paid-up value of Equity Shares registered in the name of the Shareholders on **Friday, the February 15, 2019** ("Cut-off date"). Only those Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Bank or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes by Postal Ballot or e-Voting. A person who is not a Shareholder as on the Cut-off date should treat this Notice of Postal Ballot for information purposes only.

4. In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

5. The Shareholders can opt for only one mode of voting i.e., either Postal Ballot Form or e-Voting. In case, any shareholder cast his/her vote both by Postal Ballot Form and e-Voting, the vote cast through e-Voting shall prevail and the vote cast through Postal Ballot Form shall be considered invalid.

6. Further, Shareholders, who have received the Notice of Postal Ballot by email and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, can download Postal Ballot Form from the Bank's website www.indianbank.in or by writing to the Company Secretary, Indian Bank, Corporate Office at 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai 600014 and send the duly completed and signed Postal Ballot Form to the Scrutinizer so as to reach on or before 5.00 p.m. (IST) on **Wednesday, 27th March, 2019.**

7. The resolutions, if passed by requisite majority, shall be deemed to have been passed on **Wednesday, 27th March, 2019** i.e., the last date specified by the Bank for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or e-Voting.

8. A shareholder cannot exercise his/her vote by proxy on Postal Ballot.

9. The Shareholders desiring to exercise their vote by Postal Ballot Form are requested to carefully read the instructions printed overleaf on the Postal Ballot Form and return the said Form duly completed and signed, in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope to the Scrutinizer, so that it reaches the Scrutinizer not later than 5.00 p.m. (IST) on **Wednesday, 27th March, 2019.**

10. The postage will be borne by the Bank. However, envelopes containing Postal Ballot Form, if sent by courier or registered/speed post or deposited personally at the address given on the self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope at the expense of the Shareholder/s will also be accepted. If any Postal Ballot Form is received after 5.00 p.m. (IST) on **Wednesday, 27th March, 2019**, it will be considered that no reply from the Shareholder/s has been received. Additionally, please note that the Postal Ballot Forms shall be considered invalid if:

    i) it is not possible to determine without any doubt the assent or dissent of the Shareholder/s; and/ or

    ii) a Competent Authority has given directions in writing to the Bank to freeze the voting rights of the Shareholder/s; and/or

    iii) it is defaced or mutilated in such a way that its identity as a genuine form cannot be established; and/or

    iv) the Shareholder/s has made any amendment to the resolution set out herein or imposed any condition while exercising his/her vote; and/or

    v) the details provided in the form are incomplete or incorrect; and/or

vi) Postal Ballot Form is not signed or signature does not tally; and/or

vii) if the Postal Ballot Form other than the one issued by the Bank is used.

11. In case, a Shareholder is desirous of obtaining a duplicate Postal Ballot Form, the Member may write to the Company Secretary at Indian Bank. However, the duly completed and signed Duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer on or before 5.00 p.m. (IST) on **Wednesday, 27th March, 2019.**

The Electronic Voting Sequence Number (EVSN) is 190206003

12. **E-Voting process:**

Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in Dematerialized form, as on the **Cut – off Date(s)** i.e. **Friday, the February 15, 2019** may cast their vote electronically. E-voting facility shall remain open to all shareholders from **09:00 a.m. on Tuesday, 26th February, 2019 till 05:00 p.m. on Wednesday, 27th March, 2019**. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

The process and manner for remote e-voting are as under:

a) Follow steps to cast E-vote:

(i) Launch internet browser by typing the following URL: **https://www.evotingindia.com/**

(ii) Click on Shareholder – **Login**

(iii) Now Enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(iv) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(v) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vi) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders • Members who have not updated their PAN with the Bank/ RTA/ Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank/ RTA's records in order to login • If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iii).

(vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(viii) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(ix) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(x) Click on the EVSN for the relevant **<Indian Bank >** on which you choose to vote.

(xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiii) On the voting page, the number of shares as held by the Shareholder of the Bank as on the **Cut-off Date** i.e. **Friday, the February 15, 2019** will appear.

(xiv) In respect of Agenda item No.1& 2, you may click on the assent or dissent as the case may be. Cast your vote by selecting appropriate option and click on **"SUBMIT"** and also **"CONFIRM"** when prompted.

(xv) A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xvi) Once you "CONFIRM" your vote on the agenda items, you will not be allowed to modify your vote.

(xvii) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xviii) If you are holding shares in electronic form and have forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xix) **Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.**

(xx) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

a) Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.

b) A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

c) After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.

d) The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.

e) A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

b) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia. com, under help section or you may contact at a toll free number 1800-22-5533 or you may write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

13. The Scrutinizer shall, after the conclusion of voting through Postal Ballot, make a Scrutinizer's Report on the total votes cast in favour or against the Special Resolutions as set out in each of the Agenda Items, to the Managing Director & Chief Executive Officer (MD&CEO) or any of the Executive Directors of the Bank as authorised by the Board of Directors or any other person authorised by him, who shall countersign the same. The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot Form will be final and binding.

EXPLANATORY STATEMENT

Item No 1

The Bank is in the business of the banking and its related activities. The Authorized Capital of the Bank is ₹ 3000 crore (Rupees three thousand crore only) and Paid-up Equity Capital is ₹ 480.29 crore. Presently, Government of India's holding in Bank's Equity Capital stands at 81.73% i.e. ₹ 392.54 crore.

As per SEBI guidelines, Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 provides that every listed public sector company which has public shareholding below twenty-five per cent, on the date of commencement of the Securities Contracts (Regulation) (Second Amendment) Rules, 2014 (i.e. August 22, 2014), shall increase its public shareholding to at least 25% within a period up to August 2020 in the manner, as may be specified by SEBI. Further, Ministry of Finance had also informed that Union Cabinet had in December 2014 approved the proposal for allowing Public Sector Banks to raise capital from public through Follow-on Public Offer or Qualified Institutional Placement by diluting Government holding upto 52% in phased manner based on Bank's capital requirement, stock performance, liquidity, market appetite and subject to such conditions that may be prescribed for efficient use of capital and resources, on case to case basis.

Accordingly, in order to enhance the public holding to minimum required level of 25 per cent and considering the present market appetite, approval of the shareholders of the Bank is sought to the Resolution as indicated in item No.1 of the Postal Ballot Notice, as a Special Resolution.

The Issue proceeds will be utilized to meet the capital requirements of the Bank and to support its growth plans and for other general corporate purposes including meeting the expenses of the Issue.

The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity or as nominee of Government of India.

Item No 2

With a view to enhance sense of belongingness and to motivate the Bank's Employees, the Bank proposes to issue new Equity Shares to its permanent employees including the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors of the Bank (Eligible Employees). The proposed issue will also measure up to meet the growing demands for long term resources and shore the Bank's capital adequacy in line with the BASEL III requirements.

In compliance with SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 [SEBI (SBEB)], the Bank is formulating a Scheme namely Indian Bank Employees Share Purchase Scheme ("INDBANK-ESPS"). The Scheme will be administered by a Committee of the Board and shall be subject to compliance with the applicable laws.

Out of total capital raising plan of ₹ 7,000 Crore in one or more tranches in current or subsequent financial years, the Board of the Bank has decided to raise Equity Share Capital upto ₹ 40 crore (i.e. upto 4 Crore Equity Shares with face value of ₹ 10/- each), through Indian Bank Employees Share Purchase Scheme ("INDBANK-ESPS") at such premium in one or more tranches subject to mandatory/ regulatory approvals from the GOI/SEBI/Other regulatory agencies etc, in such a way that the Government of India holding in the Bank does not fall below 51.00%.

The object of the issue, apart from raising of long-term resources is:

- recognize and reward the contributions made by the employees/whole time directors of the Bank by sharing the value created by them and thereby motivating them to contribute further and align their interests with the long term interests of the Bank;
- create a sense of ownership and participation amongst the employees;
- enable the Bank to attract, retain and reward the employees for their services to achieve sustained growth and profitability of the Bank,

The new Equity Shares proposed to be issued under the Scheme shall rank pari passu in all respects with the existing Equity Shares of the Bank including payment of dividend, if any, declared by the Bank.

In compliance with Regulation 41(4) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR)] and Regulation 6 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, the Bank is proposing the Special Resolution for issuance and allotment of new Equity Shares to eligible Employees.

Pursuant to SEBI Circular No. CIR/CFD/Policy Cell/ 2015 dated 16th June 2015, additional disclosures as enumer> ated therein are as under:

A. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank proposes to offer upto 4 (Four) Crore new Equity Shares of face value of ₹ 10/- each of the Bank

B. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED:

Up to 4,00,00,000 (Four crore) new Equity Shares in aggregate are proposed to be offered to the eligible Employees under the INDBANK-ESPS.

C. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE INDBANK-ESPS:

All permanent Employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank.

D. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING:

The Equity Shares are proposed to be offered directly and allotted and thus there will not be period of Vesting.

E. MAXIMUM PERIOD {SUBJECT TO REGULATION 18(1) AND 24(1) OF THE SEBI (SBEB) REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE} WITHIN WHICH THE OPTIONS/SARs/BENEFIT SHALL BE VESTED:

Not Applicable

F. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA:

The offer Price/Purchase Price will be determined by the Board/Committee of Directors at the time of offer. The price of the Shares to be allotted under Scheme to the Eligible Employees of the Bank shall be at discount up to 25% on volume weighted average price of equity shares of the Bank quoted on the National Stock Exchange of India Limited (NSE) during the two weeks preceding the date on which the Board/Committee fixed Offer/Purchase Price.

G. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE:

The period during which the issue remains open as per decision of the Board/Committee shall be the Exercise Period. The process of exercise would, inter alia, include offer made to the eligible Employees, receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the Scheme.

H. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE PROPOSED ESPS:

Eligible Employees as on the date of offering will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

I. MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARS, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE:

The maximum number of new Equity Shares per employee proposed to be issued under the Scheme shall be decided by the Committee of Directors constituted for the purpose. The Bank proposes to issue maximum of 4,00,00,000 (Four Crore) new Equity Shares in aggregate and Equity Shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1.00% of the post issue Paid-up capital of the Bank.

J. MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME:

Other than Equity Shares issued to the eligible Employees under the Scheme as indicated in Para (I) above, no other benefit is proposed to be provided to the employees.

K. WHETHER THE SCHEME(S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE BANK OR THROUGH A TRUST:

The proposed Scheme will be implemented and administered directly by the Bank.

L. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME(S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS ETC,:

Not Applicable.

M. MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME(S):

Not Applicable.

N. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15 OF SEBI (SBEB) REGULATIONS:

The Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, if applicable for time to time.

O. THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs:

Under the proposed Scheme, the Bank proposes to issue new Equity Shares and as such, the valuation of Options or SARs is not applicable.

P. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:

In case the Bank opts for expensing of Share Based Employee Benefits using the Intrinsic Value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on Earnings Per Share ("EPS") of the Bank shall also be disclosed in the Directors' Report. The Bank will comply with the above requirements, if applicable.

Q. LOCK-IN PERIOD:

The new Equity Shares proposed to be issued under the present ESPS shall be locked-in for a period of one year or such other extended period as any statutory / regulatory authority may provide from the date of allotment as per SEBI (SBEB) Regulations, 2014.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution.

The Managing Director & Chief Executive Officer, the Executive Directors and other Key Managerial Persons (KMPs) of the Bank are concerned or interested in the aforementioned Resolution as it is intended for their benefit. Other Directors are not concerned or interested in the Resolution.

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai
Date : February 02, 2019

Padmaja Chunduru
Managing Director & CEO

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक ● YOUR OWN BANK

प्रधान कार्यालय : 66 राजाजी सालै, चेन्नै 600 001
Head Office : 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001
कॉर्पोरेट कार्यालय : 254–260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014
Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014

पोस्टल बैलट फॉर्म / POSTAL BALLOT FORM

(बैंक द्वारा नियुक्त संवीक्षक को लौटाया जाए) / (To be returned to the Scrutinizer appointed by the Bank)

1. पहले नामित शेयरधारक का नाम और पता
   Name and Address of the first named Shareholder

2. संयुक्त शेयरधारक (ओं) का नाम, यदि कोई हो तो
   Name(s) of Joint Shareholder(s), if any

3. पंजीकृत फोलियो नंबर / डीपीआईडी / ग्राहक आईडी * (*केवल डीमैट फॉर्म में शेयरधारकों के लिए लागू)
   Registered Folio No. / DPID /Client ID* (*applicable only to Shareholders holding shares in demat form)

4. इक्विटी शेयर की संख्या / Number of equity share(s) held :

मैं / हम, डाक मतपत्र के द्वारा पारित किए जाने वाले विशेष प्रस्तावों के संदर्भ में अपना मत देते हैं जो कि बैंक के दिनांक 2 फरवरी 2019 के डाक मतपत्र नोटिस में उल्लिखित व्यवसायों के लिए है तथा इस संबंध में मैं / हम कथित विशेष प्रस्तावों के बारे में अपनी सहमति या असहमति नीचे दिए गए उचित कॉलम में (✓) चिन्हे लगाकर करता / करती / करते है / हैं।

I /We hereby exercise my / our vote in respect of the Special resolutions enumerated below to be passed through Postal Ballot as stated in the Notice dated 2nd February, 2019 issued by the Bank by conveying my /our assent or dissent to the said Special Resolutions by placing the tick (✓) mark at the appropriate box below:

क्रम सं. Sr. No.	पोस्टल बैलेट नोटिस दिनांक 2 फरवरी 2019 में निर्धारित व्यवसाय का विवरण / Description of the business set out in the Postal Ballot Notice dated 2nd February, 2019	इक्विटी शेयरों की संख्या / No. of Equity Shares held	प्रस्तावों के लिए मेरी / हमारी सहमति (पक्ष में) I/We assent to the Resolution (FOR)	प्रस्तावों के लिए मेरी / हमारी असहमति (विपक्ष में) / I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1.	आवश्यकता के आधार पर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा हस्तांतरण) अधिनियम 1970–80 की धारा 3(2बी) के अंतर्गत एफ़पीओ / निजी प्लेसमेंट / क्यूआईपी / राइटस इश्यू / प्रीफ़रेंशियल इश्यू / कर्मचारी शेयर खरीद योजना के माध्यम से चालू वर्ष या आगामी वर्ष में एक या अधिक अंशों में इक्विटी पूंजी को ₹ 7,000 करोड़(प्रीमियम सहित) To raise equity capital upto ₹ 7000 crore in one or more tranches in the current or subsequent years based on the requirement through FPO / Private Placement / QIP / Rights Issue / Preferential issue / Employees Share Purchase Plan			
2.	कर्मचारी शेयर खरीद योजना के तहत बैंक के स्थायी कर्मचारियों को रुपये ₹ 7000 करोड़ की समग्र सीमा के भीतर प्रत्येक शेयर ₹ 10 (दस रुपये) के अंकित मूल्य के 4,00,00,000 (चार करोड़) नए इक्विटी शेयरों को एक या अधिक चरणों में उपलब्ध करने, प्रस्ताव देने, जारी करने और आबंटित करने के लिए, नए इक्विटी शेयर (इसके पश्चात इंडबैंक – ईएसपीएस के रूप में वर्णित) To create, grant offer, issue and allot upto 4.00 crore equity shares of face value of ₹ 10/- each within the overall limit of ₹ 7000 crore in one or more tranches to permanent employees including the Whole Time Directors of the Bank under "Indian Bank Employees Share Purchase Scheme" (INDBANK- ESPS)			

स्थान / Place :
दिनांक / Date :

शेयरधारक के हस्ताक्षर / Signature of the Shareholder

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के विवरण / ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

ईवीएसएन (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अनुक्रम संख्या) / EVSN (Electronic Voting Sequence Number)	यूसर आईडी / User ID	पैन / अनुक्रम संख्या / PAN/Sequence Number
190206003		

ईमेल पता : ..... / E-mail address: .....

(भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा प्रदान किया जा सकता है।) / (May be provided by the Shareholders holding equity shares in physical form.)

नोट : कृपया अपने मत का प्रयोग करने से पहले दिनांक 2 फरवरी, 2019 को दिए गए पोस्टल बैलट नोटिस और नोटों में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। **संवीक्षक द्वारा पोस्टल बैलेट फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27 मार्च, 2019 है।**

Note: Please read the instructions given overleaf and in the Notes to the Postal Ballot Notice dated 2nd February, 2019, carefully before exercising your vote. **The last date for the receipt of Postal Ballot Forms by the Scrutinizer is 27th March, 2019.**

पोस्टल बैलेट फॉर्म भरने के निर्देश / Instructions for filling Postal Ballot Form:

(क) पोस्टल बैलट द्वारा वोट का प्रयोग करने को इच्छुक शेयरधारक इस पोस्टल बैलेट फॉर्म को पूरा कर सकता है और इसे संलग्न स्व–संबोधित प्री–पेड पोस्टेज बिजनेस रिप्लाई लिफाफे में संवीक्षक को भेज सकता है। डाक शुल्क बैंक द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा। हालांकि, पोस्टल बैलेट फॉर्म (ओं) वाले लिफाफे, यदि स्वयं व्यक्ति द्वारा जमा किए गए या शेयरधारक के खर्च पर कूरियर या पंजीकृत / स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए हैं, तो भी स्वीकार किए जाएंगे।

i) A Shareholder desiring to exercise vote by Postal Ballot may complete this Postal Ballot Form and send it to the Scrutinizer in the attached self-addressed pre-paid postage Business Reply Envelope. Postage charges will be borne and paid by the Bank. However, envelopes containing Postal Ballot Form(s), if deposited in person or sent by courier or registered/speed post at the expense of the Shareholder will also be accepted.

(ख) इस फॉर्म को शेयरधारक द्वारा पूरा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए (बैंक / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार)। संयुक्त होल्डिंग के मामले में, इस पोस्टल बैलेट फॉर्म को पहले नामित शेयरधारक द्वारा पूरा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और उसकी अनुपस्थिति में, अगले नामित शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए । यदि पोस्टल बैलेट फॉर्म पर एक प्रतिनिधि / अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी की एक प्रति पोस्टल बैलेट फॉर्म में संलग्न की जाएगी।

ii) This Form should be completed and signed by the Shareholder (as per the specimen signature registered with the Bank / Depository Participants). In case of joint holding, this Postal Ballot Form should be completed and signed by the first named Shareholder and in his / her absence, by the next named Shareholder. In case the Postal Ballot Form is signed through a delegate / authorized representative, a copy of the power of attorney shall be annexed to the Postal Ballot Form.

(ग) विधिवत पूर्ण और हस्ताक्षरित पोस्टल बैलेट फॉर्म दिनांक 27 मार्च, 2019, बुधवार, को कार्य–समय के अंदर या उससे पहले संवीक्षक तक पहुंचना चाहिए। इस तिथि के बाद प्राप्त सभी पोस्टल बैलेट फॉर्म को ऐसे माना जाएगा जैसे कि शेयरधारक से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

iii) Duly completed and signed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer on or before the close of working hours on Wednesday, 27th March, 2019. All Postal Ballot Forms received after this date will be strictly treated as if reply from such Shareholder(s) has not been received.

(घ) संयुक्त धारक की संख्या के बावजूद प्रत्येक फोलियो के लिए केवल एक पोस्टल बैलेट फॉर्म होगा। पोस्टल बैलट को प्रॉक्सी द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

iv) There will be only one Postal Ballot Form for every folio irrespective of the number of joint holder(s). Postal Ballot cannot be exercised by a proxy.

(ङ) कंपनियों, ट्रस्टों, संस्थानों आदि के शेयरों के मामले में विधिवत रूप से पूर्ण किए गए मतपत्र के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प / विधिवत प्रमाणित प्राधिकरण पत्र / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

v) In case of shares held by companies, trusts, societies etc. the duly completed Ballot Form should be accompanied by a relevant Board Resolution/Authority Letter duly certified /attested by authorized signatory/ (ies).

(च) यदि आवश्यक हो तो एक शेयरधारक डुप्लिकेट पोस्टल बैलेट फॉर्म के लिए अनुरोध कर सकता है। हालांकि, डुप्लिकेट पोस्टल बैलेट फॉर्म में दर्ज विधिवत दिनांक 27 मार्च, 2019, बुधवार, को कार्य–समय के अंदर या उससे पहले संवीक्षक तक पहुंचना चाहिए।

vi) A Shareholder may request for a duplicate Postal ballot form, if so required. However, the duly filed in duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer on or before the close of working hours on Wednesday, 27th March, 2019.

(छ) शेयरधारकों से अनुरोध है कि संलग्न स्व–संबोधित पूर्व–भुगतान डाक व्यवसायिक उत्तर लिफाफे में पोस्टल बैलेट फॉर्म के साथ कोई अन्य कागज न भेजें, क्योंकि ऐसे सभी लिफाफे संवीक्षक को भेजे जाएंगे और ऐसे लिफाफे में पाए गए किसी भी बाहरी कागज को संवीक्षक द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा और बैंक उसकी पावती या कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

vii) Shareholders are requested not to send any other paper along with the Postal Ballot Form in the enclosed self-addressed pre-paid postage Business Reply Envelope, as all such envelopes will be sent to the Scrutinizer and any extraneous paper found in such envelope would be destroyed by the Scrutinizer and the Bank would not be liable to acknowledge or act on the same.

(ज) एक शेयरधारक को सभी मतों का उपयोग करने की या सभी मतों को उसी तरह से वोट देने की जरूरत नहीं है। शेयरधारकों के मतदान के अधिकार 15 फरवरी, 2019 पर बैंक की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में अपने शेयर के अनुपात पर निर्भर होगी।

viii) A Shareholder need not use all the votes or cast all the votes in the same way. The voting rights of the Shareholders shall be in proportion to their shares in the total paid-up equity share capital of the Bank as on 15th February, 2019.

(झ) अपूर्ण, अहस्ताक्षरित या गलत पोस्टल बैलेट फॉर्म अस्वीकार कर दिए जाएंगे। पोस्टल बैलेट की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम और संबंधित शेयरधारक एवं बैंक के लिए बाध्यकारी होगा।

ix) Incomplete, unsigned or incorrect Postal Ballot Forms will be rejected. The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot will be final and binding on the concerned Shareholder and the Bank.

(ञ) बैंक अपने सभी शेयरधारकों को डाक मतपत्र फॉर्म का उपयोग करने के बदले इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए, वैकल्पिक के रूप में ई–वोटिंग की सुविधा भी दे रहा है। बैंक के दिनांक 02 फरवरी, 2019 के पोस्टल बैलट नोटिस के नोट में ई–वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया की गणना की गई है।

x) The bank is also offering e-voting facility as an alternate, for all its Shareholders to enable them to cast their votes electronically instead of using the Postal Ballot Form. The detailed procedure for e-voting has been enumerated in the Notes to the Postal Ballot Notice dated 02nd February, 2019 of the Bank.

(ट) यह पोस्टल बैलेट फॉर्म उन शेयरधारकों के लाभ के लिए प्रदान किया जाता है, जिनके पास ई–वोटिंग सुविधा तक पहुंच नहीं है, उन्हें डाक द्वारा अपनी सहमति या असहमति भेजने में सक्षम बनाने के लिए भेजा गया है।

xi) This Postal Ballot Form is provided for the benefit of Shareholders who do not have access to e-voting facility, to enable them to send their assent or dissent by post.

(ठ) एक शेयरधारक मतदान का केवल एक विकल्प चुन सकता है, यानी या तो डाक द्वारा या ई–वोटिंग के माध्यम से। यदि कोई शेयरधारक दोनों मोड से वोट डालता है, तो ई–वोटिंग के माध्यम से किया गया मतदान प्रबल होगा और पोस्ट द्वारा किया गया मतदान अवैध माना जाएगा।

xii) A Shareholder can opt for only one mode of voting, i.e. either by post or through e-voting. If a Shareholder casts votes by both modes, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by Post will be treated as invalid.

(ड) पोस्टल बैलट का परिणाम 27 मार्च, 2019 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा। संकल्प, यदि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत अनिवार्य बहुमत द्वारा अनुमोदित किया गया है, तो बैंक द्वारा निर्दिष्ट पोस्टल बैलट फॉर्म या ई–वोटिंग की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि अर्थात 27 मार्च, 2019, बुधवार को पारित किया गया माना जाएगा।

xiii) The result of the Postal Ballot shall be declared on or after 27th March, 2019. The Resolution, shall be deemed to have been passed on the last date specified by the Bank for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or e-voting i.e. Wednesday, 27th March, 2019, if approved by the requisite majority as mandated under the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made there under.

(ढ) शेयरधारक के मतों को निम्नलिखित में से किसी आधार पर अमान्य माना जाएगा रू

xiv) The votes of a Shareholder will be considered invalid on any of the following grounds:

अ) यदि पोस्टल बैलेट फॉर्म पर सदस्य या शेयरधारक की ओर से हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं ;

a) If the Postal Ballot form has not been signed by or on behalf of the Shareholder;

आ) यदि शेयरधारकों के हस्ताक्षर मेल नहीं खाता हैं ;

b) If the Shareholders signature does not tally;

इ) यदि शेयरधारक ने संकल्प के लिए अपने वोट को सहमति के लिए और असहमति दोनों के लिए चिह्नित किया है, इस तरह से कि कुल शेयरों के लिए मतदान किया सहमति तथा असहमति आयोजित शेयरों की कुल संख्या से अधिक हो;

c) If the Shareholder has marked his / her vote both for 'Assent' and also for 'Dissent' to the 'Resolution' in such a manner that the aggregate shares voted for 'Assent' and 'Dissent' exceed total number of shares held;

ई) यदि शेयरधारक ने अपने मत का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव में कोई संशोधन किया है या कोई शर्त लगाई है;

d) If the Shareholder has made any amendment to the Resolution or imposed any condition while exercising his / her vote;

उ) यदि पोस्टल बैलेट फॉर्म अपूर्ण या गलत तरीके से भरा गया हैं;

e) If the Postal Ballot Form is incomplete or incorrectly filled;

ऊ) यदि पोस्टल बैलेट फॉर्म फटा हुआ है या विकृत या कटा–फटा हुआ है कि संवीक्षक के लिए शेयरधारक या वोटों की संख्या पहचान करना मुश्किल हो जाए या पहचान न पाये कि वोट सहमति या असहमति के लिए हैं या हस्ताक्षर सत्यापित नहीं किए जा सकते हैं, या इस तरह के एक या अधिक आधार सत्यापित नहीं किए जा सकते हैं;

f) If the Postal Ballot Form is received torn or defaced or mutilated such that it is difficult for the Scrutinizer to identify either the Shareholder or the number of votes, or whether the votes are for 'Assent' or 'Dissent' or if the signature could not be verified, or one or more of such grounds;

ऋ) यदि उपयोग किया गया पोस्टल बैलेट फॉर्म बैंक द्वारा जारी नहीं किया गया है।

g. If the Postal Ballot form used is other than the one issued by the Bank.